स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

जनपद शामली

☐ स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिहिन्त ग्राम पंचायतों में नवाचार के माध्यम से स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है।

☐ जनपद की ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर नोडल अधिकारी, प्रधान, सचिव व खण्ड विकास अधिकारी की उन्मुखीकरण बैठक की गयी।

☐ उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम की धारा–15 व 18 अन्तर्गत ग्राम पंचायत मे ं कचरा प्रबंधन, सफाई के सुधार एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी व अधिकार ग्राम पंचायत का है एवं धारा 37 अन्तर्गत सेवा शुल्क लगाने का प्राविधान है।

☐ प्रधान, सचिव, फ्रंटलाईन वर्कर से साथ प्राथमिक बैठक एवं नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में ग्राम सभा की स्वच्छता आडिट की बैठक करायी गयी जिसमें उत्सर्जित कचरे का आंकलन व वैल्थ रैकिंग से स्वच्छता शुल्क का निर्धारण किया गया। बैठक मे ं स्वच्छता शुल्क व आर्थिक दण्ड के प्राविधान का अनुमोदन।

☐ मेरा कूडा– मेरी जिम्मेदारी, मेरा गॉव मेरी स्वच्छता के साथ जनसहभागिता से स्वच्छता के लक्ष्य से, वाहन के निर्धारित रूट चार्ट/रोस्टर के अनुसार डोर–टू–डोर कूडा संग्रहण का कार्य किया गया।

Scanned with OKEN Scanner